

an>

Title: Introduction of the Mentally Retarded Children (Welfare) Bill, 2016.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमण्डित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमण्डित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय सभापति : श्री ए.टी.नाना पाटील - उपस्थित नहीं।

श्री गोपाल शेट्टी।

-